उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 1216/XIII-II/51(5)2005
देहरादूनः दिनांकः 19 नवम्बर, 2008
19 दिसम्बर

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय माने हुए समान मार्ग निर्देशों के अनुरूप सभी परियोजनाओं का कियान्वयन किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 591/2008/XIII-II/51(5) 2005 दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया। श्री राज्यपाल महोदय उक्त एजेन्सी में जिला स्तर पर जिला जलागम विकास इकाइयॉं के कार्यों एवं के मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित जिले के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	सम्बन्धित जिले के मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4	सम्बन्धित जिले के उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	सम्बन्धित जिले के मुख्य पशु अधिकारी	सदस्य
6	सम्बन्धित जिले के भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
7	सम्बन्धित जिले के अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई)	सदस्य
8	सम्बन्धित जिले के अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0)	सदस्य
9	सम्बन्धित जिले के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
10	सम्बन्धित जिले के प्रभागीय वनाधिकारी (भूमि संरक्षण/सिविल एवं सोयम वन प्रभाग)	सदस्य
11	जिले में प्रख्यात स्वयं सेवी संस्थानों में से दो प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
12	परियोजना प्रबन्धक, डी0डब्लू0डी0यू0	सदस्य सचिव

नये दिशानिर्देशों के के अनुसार वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्लू0डी0यू0) के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. एस0एल0एन0ए0 के साथ परामर्श से संभावित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना।
2. सम्बन्धित जिलों में जलागम विकास परियोजनाओं के लिये क्रियान्वयन नीति तथा वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने को सुविधाजनक बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी लेना।
3. जलागम परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पी0आई0ए0) को उचित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

4.क्षमता निर्माण सम्बन्धी कार्य योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये संसाधन संगठनों की घनिष्ठ भागीदारी क्षमता निर्माण हतु कार्ययोजनाएं तैयार करना।

5.निगरानी मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन का कार्य नियमित रूप से करना।

6.जलागम विकास परियोजनाओं को निधियां सुचारू रूप से जारी किये जाने को सुनिश्चित करना।

7.राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी/केन्द्र स्तर पर विभाग की नोडल एजेंसी को अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना।

8.उत्पादकता तथा जीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, पशुपालन आदि के संगत कार्यक्रमों का जलागम विकास परियोजनाओं के साथ समन्वय को सुविधाजनक बनाना।

9.जलागम विकास परियोजनाओं/योजनाओं को जिला योजना मितियां की जिला योजना समितियों की जिला योजनाओं के साथ समेकित करना। वाटरशेड परियोजनाओं के समस्त आय व्यय की जिला योजनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

10.जिला स्तरीय डाटा सेल को स्थापित करना तथा इसका रख–रखाव करना और इसे राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय डाटा केन्द्र के साथ जोड़ना।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 1216/XIII-II/51(5)2005 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव(वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से संबंधित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मंडल नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई) उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एम0एच0 खान)
सचिव